

UPGK010052532026



न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-2294/2026

1. करन पासवान उम्र- 19 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल

2. अर्जुन पासवान उम्र- 18 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल

निवासीगण ग्राम- चनऊ उर्फ बेतऊंवा थाना- बेलीपार, जिला- गोरखपुर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०-108/2026

धारा- 109(1), 121(1), 351(3), 352, 57, 132,
190, 191(1), 191(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व
7 सी० एल० ए० एक्ट

थाना-बेलीपार, जनपद-गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना-पत्र, आवेदकगण/अभियुक्तगण करन पासवान व अर्जुन पासवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं०-108/2026, धारा- 109(1), 121(1), 351(3), 352, 57, 132, 190, 191(1), 191(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व 7 सी० एल० ए० एक्ट, थाना-बेलीपार, जनपद-गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार वादी मुकदमा उ०नि० शमशेर यादव पुलिस चौकी प्रभारी को दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि सूचना मिली कि ग्राम चनऊ उर्फ बेतऊंवा के सामने हाईवे पर एक मोटर साइकिल का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें चालक की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर मैं उ०नि० मय हमराह कां० सुरेन्द्र वर्मा, कां० संदीप निषाद के मौके पर पहुंचा तो पाया कि मौके पर कुछ लोग हाईवे पर पत्थर रख कर रोड जाम किये हुए हैं। मौके के स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मुझ उ०नि० द्वारा थाना पर सूचना दिया गया। इस सूचना पर थाना प्रभारी महोदय श्री विशाल कुमार सिंह मय हमराह अन्य पुलिसकर्मियों मौके पर पहुंचे, हम पुलिस वालों द्वारा मौके पर मौजूद भीड़ को समझा-बुझाकर हाईवे खोलवाने का प्रयास किया गया तो उपरोक्त लोगो द्वारा पुलिस कार्य सरकार में बाधा डालते हुए गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए उग्र होकर ललकारते हुए कि घेर कर जान से मार दो सभी पुलिस वालो को कहते हुए जान से मारने की नियत से हम पुलिस टीम पर ईट-पत्थर से प्राण घातक हमला करने लगे जिससे आस पास भय का माहौल हो गया, आस

पास मौजूद लोगो द्वारा अपने घर के खिड़की दरवाज बन्द कर लिये गये जिसमे रि०का० आकाश भारती, का० अजीत यादव को गम्भीर चोटें आयीं। मौके पर भीड़ पर नियंत्रण पाते हुए 1. आदित्य पुत्र नगीना निवासी जीतपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर 2. अर्जुन पासवान पुत्र कन्हैया लाल 3. आशीष कुमार पुत्र राजन 4. करन पासवान पुत्र कन्हैया लाल 5. कृष्णविजय पुत्र तारेहिन्द निवासीगण ग्राम चनऊ उर्फ बेतउवा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर 6. शिवम सिंह पुत्र इन्द्रदेव निवासी कलानी खुर्द थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को पुलिस की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध कारित करने के सम्बन्ध में व भय का माहौल व्याप्त करने के कारण पुलिस हिरासत में लिया गया अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल हुए।

3. विवेचना के क्रम में मजरूब रि०का० आकाश भारती का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिसमें उसके शरीर पर निम्न चोटें आयीं—

1. L/W 3cm, 3 stitched at right side parital region 11cm from right ear 14cm from right eyebrow.
2. C/o nausea, headache, vomiting & cpimolame.
3. C/o pain in right shoulder joint difficulty in flexion and extension.

Opinion— All the above injuries are caused by hard and blunt object. CT scan head suggested. X-ray of right shoulder joint is suggested.

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन अभियोजन बिल्कुल निराधार एवं असत्य है। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई जुर्म नहीं किया है मुकदमें में फर्जी तरीके से फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि चोटईल को ईट पत्थर से घायल किया गया है जबकि आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई तोड़ फोड़, सड़क जाम या उपद्रव या शांति भंग नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण कथित घटना के दिनोंक व समय पर अपने घर पर भोजन करके अपने कमरे में सो रहे थे कि थाना बेलीपार की पुलिस जबरन आवेदकगण/अभियुक्तगण के घर का दरवाजा खुलवाकर हम लोगों को पकड़कर अपने साथ थाने ले गयी और फर्जी तरीके से आवेदकगण/अभियुक्तगण का उक्त मुकदमें में चालान कर दिया। आवेदकगण/अभियुक्तगण छात्र हैं तथा किसी भी प्रकार के किसी अपराधिक कृत्य में शामिल नहीं थे। आवेदकगण/अभियुक्तगण का विगत कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिसकर्मीयों को गाली-गुप्ता देते हुए ईट-पत्थर चलाकर उनपर हमला कारित करते हुए उन्हें गम्भीर उपहति पहुँचाया गया। कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव, मामले की गम्भीरता एवं

आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. मैंने, आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। कथित घटना व फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में सह-अभियुक्तगण आदित्य व आशीष कुमार की नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. तदनुसार, आवेदकगण/अभियुक्तगण करन पासवान व अर्जुन पासवान की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 2294/2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण में से प्रत्येक द्वारा मु0-50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा इतनी ही राशि के दो-दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये-

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बन्ध-पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे,
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिन्न व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे।
5. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान मामले के गवाहों को डरायेंगे धमकायेंगे नहीं।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक: 02.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-UP1889